जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 08-10-2021

आज दिनांक 08.10.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10-10 ली0 कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता संजय निषाद पुत्र सोमई 2 – सुहेल अहमद पुत्र युसूफ अली निवासीगण कुसरू खुर्द थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 316 / 2021 व 317 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरणः- का0 आदित्य सिंह, कां0 मंजीत यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द –

पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत सिकटहा से इवेन्ट संख्या 09000 से एक व्यक्ति (आशुतोष निवासी पुरानी बस्ती जनपद बस्ती) के अपहरण होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा पीआरवी कर्मियो द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से अपहरण हुए व्यक्ति को 09 मिनट में थाना महुली के आरक्षी विकास को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से अपहरण हुए व्यक्ति की तलाश कर उसकी जान बची गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 अभय कुमार, आ0 रजनेश पाण्डेय, हो0चा0 नागेन्द्र प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 93 वाहनो से 74000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.10.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 93 वाहनो से 74000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।